संख्या-114/2026/318/69-1-2026-2028268

प्रेषक,

लाल मणि यादव,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से विभिन्न जनपदों की कुल 36 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4257/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-21वाल्यूम-1, दिनांक 12.01.2026, पत्र संख्या-4255/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-21वाल्यूम-1, दिनांक 12.01.2026, पत्र संख्या-4254/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-21वाल्यूम-1, दिनांक 12.01.2026, पत्र संख्या-4424/26/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2019-20-बुलन्दशहर, दिनांक 19.01.2026, पत्र संख्या-4466/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-21, दिनांक 20.01.2026, पत्र संख्या-4414/26/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2019-20-बुलन्दशहर, दिनांक 19.01.2026, पत्र संख्या-4203/10/छः/विविध/द्वितीय किश्त/2022-23वैल्यूम-II, दिनांक 08.01.2026, पत्र संख्या-4464/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-21, दिनांक 20.01.2026, पत्र संख्या-4538/73/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2025-26, दिनांक 23.01.2026, पत्र संख्या-4539/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2022-23वाल्यूम-2, दिनांक 23.01.2026, पत्र संख्या-4643/73/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-21, दिनांक 30.01.2026, पत्र संख्या-4537/73/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2025-26, दिनांक 23.01.2026 एवं पत्र संख्या-4657/26/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2024-25वैल्यूम-1, दिनांक 30.01.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत क्रमशः** वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-29/2024/61/69-1-2024-1769057, दिनांक 01.02.2024 द्वारा जनपद-सिद्धार्थनगर की 01 परियोजना हेतु रू0 28.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 14.325 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 13.245 **लाख,** वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-12/2024/20/69-1-2024-1766751, दिनांक 17.01.2024 द्वारा जनपद-सिद्धार्थनगर की 06 परियोजनाओं हेतु रू0 33.23 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 16.6150 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 06 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि रू0 15.495 **लाख,** वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-257/2023/4355/69-1-2023-176861, दिनांक 15.12.2023 द्वारा जनपद-सिद्धार्थनगर की 04 परियोजनाओं हेतु रू0 109.59 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 54.795 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 04 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 51.165 **लाख,** वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-191/2025/817/69-1-2025-1913910, दिनांक 31.03.2025 द्वारा जनपद-बुलन्दशहर की 01 परियोजना हेतु रू0 5.9600 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 75 प्रतिशत अर्थात रू0 4.4700 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 1.470 **लाख,** वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-118/2025/292/69-1-2025-1899409, दिनांक 04.03.2025 द्वारा जनपद-बस्ती की 01 परियोजना हेतु रू0 30.08 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 15.04 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 15.02 **लाख,** वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-193/2025/862/69-1-2025-1914573, दिनांक 31.03.2025 द्वारा जनपद-बुलन्दशहर की 01 परियोजना हेतु रू0 11.94 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 75 प्रतिशत अर्थात रू0 1.785 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 01.785 **लाख,** वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-257/2023/4355/69-1-2023-1768261, दिनांक 15.12.2023 द्वारा जनपद-मथुरा की 01 परियोजना हेतु रू0 81.29 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 40.645 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 29.775 **लाख,** वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-109/2024/234/69-1-2024-1766751, दिनांक 16.03.2024 द्वारा जनपद-बस्ती की 01 परियोजना हेतु रू0 51.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 25.725 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 25.465 **लाख,** वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-09/2024/2051/69-1-2023-1767593, दिनांक 17.01.2024 द्वारा जनपद-गोण्डा की 01 परियोजना हेतु रू0 24.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 12.10 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 12.08 **लाख,** वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-

http://shasanadesh.up.gov.in

108/2024/515/69-1-24-1797629, दिनांक 15.03.2024 द्वारा जनपद-मुरादाबाद की 01 परियोजना हेतु रू0 16.73 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 8.365 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 8.315 **लाख,** वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-159/2025/654/69-1-2025-1910558, दिनांक 25.03.2025 द्वारा जनपद-सुल्तानपुर की 01 परियोजना हेतु रू0 32.59 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 16.295 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 16.265 **लाख,** वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-153/2025/595/69-1-2025-1907706, दिनांक 20.03.2025 द्वारा जनपद-गोण्डा की 11 परियोजनाओं हेतु रू0 402.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 201.190 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 11 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 200.850 **लाख** एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-170/2025/706/69-1-2025-1911808, दिनांक 27.03.2025 द्वारा जनपद-अयोध्या की 06 परियोजनाओं हेतु रू0 233.23 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 75 प्रतिशत अर्थात रू0 174.9225 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 06 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 45.6575 **लाख अर्थात कुल-509.0375 लाख (रूपये पाँच करोड़ नौ लाख तीन हजार सात सौ पचास मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/ कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत	सेन्टेज सहित निविदा की धनराशि	प्रथम किश्त की निर्गत धनराशि	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि। (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिद्धार्थनगर	न0पं0 उसका बाजार	वार्ड नं0 09 मु0 शिवाजीनगर में नन्दलाल के घर से नवाडांडी सिवान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	28.65	27.57	14.325	13.245
			योग	**28.65**	**27.57**	**14.325**	**13.245**
2	सिद्धार्थनगर	न0पा0प0 सिद्धार्थनगर	मो0 बसडिलिया में मेन सड़क से के0जी0 सिंह के	29.08	28.090	14.5400	13.550

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

			मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।				
3	सिद्धार्थनगर	न0पा0प0 सिद्धार्थनगर	भीमापार में अभय सिंह के मकान से राकेश सिंह के मकान होते हुए के0बी0 सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का कार्य।	30.19	29.180	15.0950	14.085
4	सिद्धार्थनगर	न0पं0 डुमरियागंज	वार्ड नं 11 मु0 इंदिरा नगर में बन्धन मैरेज हाल के आगे से मछली/मीट मण्डी तक इण्टरलाकिंग कार्य।	23.93	23.130	11.9650	11.165
5	सिद्धार्थनगर	न0पं0 उसका बाजार	वार्ड नं 09 मो0 शिवाजी नगर में सुखलाल के घर से झरनक के घर तक तक इण्टरलाकिंग कार्य।	32.59	31.490	16.2950	15.195
6	सिद्धार्थनगर	न0पं0 उसका बाजार	वार्ड नं 09 मो0 शिवाजी नगर में मुन्नी के चाय के दुकान से शिवमूरत के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	33.23	32.110	16.6150	15.495
7	सिद्धार्थनगर	न0पं0 भारत भारी	वार्ड नं 02 मुजीब उललाह की जमीन से औराताल सरहद तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का कार्य।	37.01	36.960	18.5050	18.455
			योग	**186.03**	**180.96**	**93.015**	**87.945**
8	सिद्धार्थनगर	न0पं0 इटावा	गनवारिया पूरब से पहाड़ापुर रोड तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	21.81	21.090	10.9050	10.185
9	सिद्धार्थनगर	न0पं0 विस्कोहर	वार्ड नं 09 श्यामप्रसाद मुखर्जी नगर में इटवा बलरामपुर मार्ग पर पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से दक्षिणी शमशान तक सीसी रोड व नाली का कार्य।	37.33	36.090	18.6650	17.425
10	सिद्धार्थनगर	न0पा0प0	मो0 हेड गवारनगर में	23.67	22.890	11.8350	11.055

----

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		सिद्धार्थनगर	इमरान के मकान से श्याम मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।				
11	सिद्धार्थनगर	न0पं0 शाहरतगढ़	मो0 अम्बेडकर नगर में राजकुमार के घर से सुभाष यादव के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	26.78	25.890	13.3900	12.500
			योग	**109.59**	**105.96**	**54.795**	**51.165**
12	बुलन्दशहर	न0पा0प0, खुर्जा	वार्ड नं 01 मोहल्ला नेहरूपुर में कान्ति के मकान से सेठ जी के मकान तक इण्टरलाकिंगरोड व नाली निर्माण कार्य।	5.9600	5.94	4.4700	1.470
			योग	**5.9600**	**5.94**	**4.4700**	**1.470**
13	बस्ती	न0पं0 रूधौली	वार्ड नं 02 गिधार में चाय की दुकान से लालमन के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	30.08	30.06	15.06	15.02
			योग	**30.08**	**30.06**	**15.06**	**15.02**
14	बुलन्दशहर	न0पा0प0 खुर्जा	वार्ड नं 01 मोहल्ला नेहरूपुर में जी0टी0 रोड से ओमी सरदार के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण।	11.94	10.74	8.955	1.785
			योग	**11.94**	**10.74**	**8.955**	**1.785**
15	मथुरा	न0नि0 मथुरा वृन्दावन	वार्ड सं0 12 देवी आटस/बड़ी आटस के अन्तर्गत भगवान से लाडली शरण, रामबाबू से नेगों, शेरसिंह से गिर्राज, बाबूलाल से खजान सिंह,	81.29	70.42	40.645	29.775

http://shasanadesh.up.gov.in

			मोहन से नंदकिशोर, रोहन से श्यामबिहारी एवं मेघश्याम से मोती के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।				
			योग	**81.29**	**70.42**	**40.645**	**29.775**
16	बस्ती	न0पं0 नगर बाजार	वार्ड नं 01 अम्बेडकर नगर पिच सड़के से राजघाट तक सीसी/इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य ।	51.45	51.19	25.725	25.465
			योग	**51.45**	**51.19**	**25.725**	**25.465**
17	गोण्डा	न0पा0प0 गोण्डा	मो0 सिविल लाइन में कंगारू किड्स के बगल गली में समस्त लिंक गलियों मे रबर मोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	24.20	24.18	12.10	12.08
			योग	**24.20**	**24.18**	**12.10**	**12.08**
18	मुरादाबाद	न0नि0 मुरादाबाद	वार्ड नं 05 भटावली में अंकुश कुमार के मकान से भोशपाल के मकान तक सीसी इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	16.73	16.68	8.365	8.315
			योग	**16.73**	**16.68**	**8.365**	**8.315**
19	सुल्तानपुर	न0पा0प0 सुल्तानपुर	वार्ड करौदिया में क्वार्टर गार्ड के पीछे से नलकूप होते हुए अवध मान्टेसरी स्कूल होते हुए कमला विद्यालय मंदिर स्कूल तक सीसी रोड व नाली निर्माण	32.59	32.56	16.295	16.265

http://shasanadesh.up.gov.in

			कार्य।				
			योग	**32.59**	**32.56**	**16.295**	**16.265**
20	गोण्डा	न0पा0प0 गोण्डा	मोहल्ला पटेलनगर में श्रीराम स्कूल के बगल से होते हुए रामेश्वर निवास तक स्वरमोल्ड इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	27.56	27.54	13.780	13.760
21	गोण्डा	न0पा0प0 गोण्डा	शिवा मेडिकल स्टोर से मंटू वास्ती के घर तक सी०सी० /इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	27.56	27.54	13.780	13.760
22	गोण्डा	न0पा0प0 गोण्डा	मोहल्ला मालवीय नगर में झूलेलाल धर्मशाला के आगे राधाकृष्ण मन्दिर एवं समस्त लिंक गलियों में स्बरमोल्ड इण्टरलॉकिंग / सी.सी. एवं नाली निर्माण का कार्य।	47.43	47.40	23.715	23.685
23	गोण्डा	न0पा0प0 गोण्डा	मोहल्ला पंतनगर में सभासद श्री अजय श्रीवास्तव के सामने वाली गली से होते हुए श्रीराम सुघर चौधरी के मकान एवं समस्त लिंक गलियों में स्वरमोल्ड इण्टरलॉकिंग / सी.सी .एवं नाली निर्माण का कार्य।	55.89	55.85	27.945	27.905
24	गोण्डा	न0पा0प0 गोण्डा	मोहल्ला नैय्यर कॉलोनी में अजय शुक्ला के घर के सामने से होते हुए श्रीमती सुमन सिंह एवं विकास श्रीवास्तव के मकान, राजबिला एवं समस्त लिंक गलियों में रबरमोल्ड	47.43	47.40	23.715	23.685

http://shasanadesh.up.gov.in

			इण्टरलॉकिंग / सी.सी .एवं नाली निर्माण का कार्य।				
25	गोण्डा	न0पा0प0 गोण्डा	मो० छेदीपुरवा में होटल अमरावती 6 के बगल होते हुए निर्माण कुंज एवं कमला निकेतन तथा अन्य लिंक गलियों में सी.सी /. इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	21.99	21.97	10.995	10.975
26	गोण्डा	न0पा0प0 गोण्डा	मो० विष्णुपुरी में पिन्टू श्रीवास्तव 7 के मकान संजय प्रोविजन एवं समस्त लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण/पथ प्रकाश कार्य।	35.71	35.69	17.855	17.835
27	गोण्डा	न0पा0प0 गोण्डा	मो० छेदीपुरवा बी0 एस0एन0एल0 आफिस के पीछे पावर हाउस के सामने मीरा निवास से उर्मिला बिला से पार्वती निवासतक समस्त लिंक गलियों इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	35.21	35.18	17.605	17.575
28	गोण्डा	न0पा0प0 गोण्डा	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बगल से होते हुए मालतीकुंज एवं जीतेन्द्र प्रभा एवं समस्त लिंक गलियों सीसी/ इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	27.62	27.54	13.810	13.730
29	गोण्डा	न0पा0प0 गोण्डा	कांशीराम कालोनी से होते हुए आसरा आवास से सर्किट हाउस आफिसर कालोनी तक सीसी/ इण्टरलाकिंग एवं नाली	39.25	39.22	19.625	19.595

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

			निर्माण कार्य।				
30	गोण्डा	न0पा0प0 गोण्डा	कस्तूरी हास्पिटल के सामने बैंक से होते हुए शिवानी ट्रांसपोर्ट एवं अरूण मिश्र के घर तक समस्त लिंक गली में सीसी/ इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	36.73	36.71	18.365	18.345
			योग	**402.38**	**402.04**	**201.19**	**200.85**
31	अयोध्या	न0पं0 खिरौनी	सुचितागंज के वार्ड संख्या 07 विशुनपुर सारा में महेश के घर से रामतेज के घर होते हुए सालिक राम के घर तक एवं दुर्गाप्रसाद,शीतला, आलेक एवं ज्वाला प्रसाद के घर होते हुए सीसी रोड महेश कुमार के घर तक इण्टरलाकिंग रोड नाली निर्माण एवं मार्ग प्रकाश का कार्य।	59.69	56.45	44.7675	11.6825
32	अयोध्या	न0पं0 खिरौनी	सुचितागंज के वार्ड संख्या 07 के राम स्वरूप दुबे का पुरवा में बडी नहर, बेचू के घर से राज काम कलप, राम जियावन, विजय पदुबे, मंदिर, प्रभाकर दुबे, रामशंकर के घर होते हुए पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग रोड नाली निर्माण एवं मार्ग प्रकाश का कार्य।	68.06	64.45	51.0450	13.4050
33	अयोध्या	न0नि0	सरदार पटेल वार्ड के पटेल भवन सीसी मार्ग महेश	10.37	9.59	7.7775	1.8125

http://shasanadesh.up.gov.in

		अयोध्या	कुमार के धर से विनोद कुमार के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण।				
34	अयोध्या	न0नि0 अयोध्या	चित्रगुप्त नगर वार्ड के उसरू में गजाधर कालोनी में नन्दलाल के घर से अभिषेक के घर, लालता प्रसाद के घर से अरविन्द यादव के धर, बृजेश सिंह के घर के सामने से आलोक वर्मा के पास तक एवं मनोहर नगर रूद्धेश कुमार के धर से के0के0 भारती के घर होते हुए रवि सिंह के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण।	60.30	55.78	45.2250	10.5550
35	अयोध्या	न0नि0 अयोध्या	राम चन्द्र परमहंस दास वार्ड के भद्रैहया में परिक्रमा मार्ग मौनी बाबास्थान से श्रीराम के घर होते हुए मंगल प्रसाद, राम मूरत, कन्हैयालाल, सुमित्रा के घर होते हुए हरीराम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण।	25.94	25.66	19.4550	6.2050
36	अयोध्या	न0नि0 अयोध्या	वार्ड सं 08 मोहदा दक्षिणखोजनपुर में मीरा देवी पत्नी नरेश प्रजापति के घर से भानमती देवी पत्नी विश्वनाथ यादव के धर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण।	8.87	8.65	6.6525	1.9975

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

			योग	233.23	220.58	174.9225	45.6575
			कुल योग	1214.12	1178.88	669.8625	509.0375

(रूपये पांच करोड़ नौ लाख तीन हजार सात सौ पचास मात्र)।

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/69-1-17-14(31)2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्ण रूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि

http://shasanadesh.up.gov.in

उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2026 तक व्यय हो सके।
18. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
19. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।
20. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-083 लेखा शीर्षक** 2217047890500 मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल मणि यादव)
उपसचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनॉक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर, बुलन्दशहर, बस्ती, मथुरा, गोण्डा, मुरादाबाद, सुल्तानपुर व अयोध्या।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

(लाल मणि यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।